

**182 22 69 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई ) में सीडीए पैटर्न को अपनाने वाले सीपीएसई कर्मचारियों का वेतन संशोधन**

उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति (एचपीपीसी) की सिफारिशों और सीएमपी संख्या 10864 / 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्णय के आधार पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 12. 06.1990 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध IV में दर्शाए अनुसार 69 सीपीएसई में सीडीए पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 12.06.1990 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (43)/ 90-डीपीई (डब्ल्यूसी) जारी किया था। डीपीई ने अपने दिनांक 24.10.1997 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले उपर्युक्त 69 सीपीएसई के वेतन और भत्तों में पुनः संशोधन किया। 01.01.2006 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.08.2008 की अधिसूचना जारी किए जाने के परिणामस्वरूप एचपीपीसी की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्णय के अनुसार 69 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में भी वेतनमानों को 01.01.2006 से संशोधित किया जाएगा।

2. सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले उपर्युक्त 69 सीपीएसई के कर्मचारियों के वेतनमान अनुबंध I (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार 01.01.2006 से संशोधित किए जाएंगे। मकान किराया भत्ता (एचआरए) और नगर प्रतिपूरक भत्ता (सीसीए) की दरें अनुबंध II (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार होंगी। महगाई भत्ते की दरें अनुबंध III (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार होंगी। अन्य भत्तों के संशोधन में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

3. वेतन संशोधन का लाभ केवल ऐसे सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किए जाएं, जो घाटे में नहीं चल रहे हैं और सरकार से किसी बजटीय सहायता के बिना अपने संसाधनों से वेतन संशोधन के मद पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को स्वयं वहन करने की स्थिति में हैं। सीपीएसई के निदेशक मंडल अपनी वहन क्षमता और भुगतनान करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सीपीएसई के सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो उनके वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रस्ताव को अनुमोदित करेगा। भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में व्यय विभाग की सहमति भी आवश्यक होगी।

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे सीपीएसई जो सीडीए पैटर्न पर वेतनमानों का अनुपालन कर रहे हैं, की सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए उपर्युक्त निदेशों को उनके ध्यान में लाएं।



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भाद्रपद 7, 1930

No. 470]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHADRAPADA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(व्यवस्था विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

**सा.का.नि. 622(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक—महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

**1 लघु नाम और प्रारम्भ:-**

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 कहा जाएगा।
- (2) इन्हें 1 जनवरी, 2006 से लागू माना जाएगा।

**2 उन सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे:-**

- (1) अन्यथा उपलब्ध व्यवस्था या इन नियमों में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये नियम संघ के कार्यों के संबंध में नियुक्त कर्मचारियों और पदों, जिनका वेतन सिविल प्रावक्कलन में से अदा होता है तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
- (2) ये नियम लागू नहीं होंगे:-

- (i) उन व्यक्तियों पर, जो केन्द्रीय सिविल सेवाओं और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में नियुक्त हैं।
- (ii) उन व्यक्तियों पर, जो राजनीतिक, कांसुली अथवा विदेशों में स्थित भारतीय संस्थापनाओं में स्थानीय रूप से सेवार्थ भर्ती हैं;
- (iii) उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक सेवायोजन में नहीं हैं;
- (iv) उन व्यक्तियों पर, जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है;
- (v) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है;
- (vi) उन व्यक्तियों पर जो अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जहां अनुबंध में अन्य प्रकार से इसका प्रावधान किया गया हो;

- (vii) उन व्यक्तियों पर जो सेवा-निवृति के बाद पुनः सरकारी नौकरी में लगाए गए हैं;
- (viii) उन किसी भी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा सारे कार्यों से अथवा इन नियमों में निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित करते हों।

**3 परिभाषाएँ-** इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (1) "मौजूदा मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित मौजूदा वेतनमान में आहरित किया जाता है, जिसमें गत्यवरोध वेतनवृद्धियां भी शामिल हैं परन्तु इनमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।
- (2) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वर्तमान वेतनमान से है जो सरकारी कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 को वास्तविक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो, वैयक्तिक वेतनमान पर लागू हो)।

**स्पष्टीकरण-** किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 2006 को विदेश में प्रतिनियुक्त अथवा अवकाश पर अथवा विदेश सेवा में था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था "मौजूदा वेतनमान" में किसी पद के लिए ग्राह्य वेतनमान जो उसने भारत से बाहर प्रतिनियुक्त अथवा छुट्टी अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी विदेश सेवा में होते हुए अथवा, जैसा भी मामला हो, धारित किया होता, शामिल होगा।

- (3) "मौजूदा परिलिंबियों" से आशय है (i) मौजूदा मूल वेतन, (ii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई वेतन तथा (iii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई भत्ता + 536 (1982 = 100) के सूचकांक औसत पर दिया जाने वाला महंगाई वेतन।
- (4) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद/ग्रेड के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख कालम 3 में पद के सामने किया गया है;
- (5) "वेतन बैंड में वेतन" का तात्पर्य है प्रथम अनुसूची के कॉलम 5 में दिए गए रनिंग वेतन बैंडों में आहरित वेतन।
- (6) "ग्रेड वेतन" पूर्व-संशोधित वेतनमानों/पदों के अनुरूप नियत देय राशि।
- (7) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद के संबंध में "संशोधित वेतन ढाँचे" का तात्पर्य उसके कालम 5 तथा 6 में निर्दिष्ट वेतनमान या उस पद के समक्ष उल्लिखित ग्रेड वेतन और वेतन बैंड से है, बशर्ते कि उस पद के लिए अलग से भिन्न-भिन्न संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान अधिसूचित न किए गए हों।
- (8) संशोधित वेतन ढाँचे में "मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड तथा लागू ग्रेड वेतन के जोड़ में आहरित किया जाता है, परन्तु इसमें विशेष वेतन आदि किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।
- एच.ए.जी.+, शीर्षस्थ वेतनमान तथा मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतनमान में मिलने वाले वेतन से है।
- (9) "संशोधित परिलिंबियों" का अर्थ संशोधित वेतनमान में सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से है जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त उसे दिया जाने वाला संशोधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता, यदि कोई हो, या एच.ए.जी.+उसके ऊपर के वेतनमान में मूल वेतन भी शामिल है।
- (10) "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

**4 पदों का वेतनमान-** प्रथम अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित प्रत्येक पद/ग्रेड के लिए यथा लागू वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान का उल्लेख उसके कॉलम 5 तथा 6 के सामने किया जाएगा।

5 संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का आहरण- इन नियमों में अन्यथा निहित प्रावधानों को छोड़कर कोई भी सरकारी कर्मचारी उसके नियुक्त पद पर लागू संशोधित वेतन ढाँचे में अपना वेतन प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि कोई सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तक, अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक मौजूदा वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी को 1/1/2006 तथा पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि के कारण बनाए गए इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वह सरकारी कर्मचारी ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन आदि की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे का विकल्प चुन सकता है।

**स्पष्टीकरण 1-** इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा।

**स्पष्टीकरण 2-** ऊपर दिया गया विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित होकर आया हो, उसे केवल संशोधित वेतन ढाँचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

**स्पष्टीकरण 3-** जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अंतर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापत्र क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूलभूत वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता या निलंबित न किए जाने तक उसका पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता या स्थानापत्र पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की खासियत लिए हुए वह अर्जित करता।

## 6 विकल्प का चयन-

(1) नियम 5 के उपबंध के अंतर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस फार्म पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उप नियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के तीन माह के अंदर पहुंच जाने चाहिए अथवा जहां वर्तमान वेतनमान निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के तीन माह बाद तक पहुंचना मान्य होगा।

बशर्ते कि-

- (i) उस मामले में जब सरकारी कर्मचारी उस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सक्रिय सेवा में देश से बाहर हो। उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के भारत में आने और यहां का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अंदर लिखित रूप में पहुंच जाए, तथा
  - (ii) जहां कोई सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को निलंबित हो तो ऐसे में उसके काम पर लौटने की तारीख इस उप-नियम के प्रकाशित होने की तारीख के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अंदर लिखित विकल्प दे सकता है।
- (2) विकल्प की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।
  - (3) अगर सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उप-नियम 1 के अनुसार निर्धारित तारीख के अंदर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नए संशोधित वेतनमान द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार वेतन दिया जाएगा।
  - (4) एक बार दिया गया विकल्प ही अंतिम होगा।

**नोट 1-** जिन लोगों की सेवा 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्ती अथवा सेवा-मुक्ति अथवा अनुशासनहीनता के कारण से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी इस नियम के लाभों का अधिकार होगा।

**नोट 2-** जो लोग 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अंदर संशोधित वेतन ढाँचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 1 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों को लाभप्रद लगे, उन्होंने नए वेतनमान का चयन कर लिया है। अगर संशोधित वेतन ढाँचे उनके हक में हैं तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

**नोट 3-** जो व्यक्ति 1/1/2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी के हकदार बनाता है, उन्हें छुट्टी के इस नियम के लाभ मिलेंगे।

#### 7 संशोधित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारणः

(i) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसने 1 जनवरी, 2006 को और उसी तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के उप नियम (3) के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद-जिस पर वह कार्य-पुनर्ग्रहणाधिकार रखता है या निलंबित न होने की स्थिति में यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष नियम या अन्यथा निर्देश न हो, उसका आरंभिक वेतन अलग से निर्धारित किया जाएगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाएगा।

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में-

- (i) वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1/1/2006 को यथाविद्यमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा।
- (ii) यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि:-

वेतन निर्धारण में जहां कहीं सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है, अर्थात् अन्यथा कहें तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतनबृद्धि का लाभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बंचिंग से बचा जा सके। इस प्रयोजन के लिए वेतनबृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जाएगी। बंचिंग को कम करने के लिए वेतनबृद्धियां देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

वेतन बैंड पी.बी.-4 में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच.ए.जी.) में वेतनमानों के मामले में बंचिंग के कारण वेतनवृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों में सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। एच.ए.जी + वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड /वेतनमान (जहां लागू हो) की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।

- (iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा। वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

**नोट-** उपर्युक्त पर उदाहरण 1 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

(ख) उन कर्मचारियों, जो कि मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन तौर पर किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड ग्रेड वेतन दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उप खण्ड में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।

(ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, सचिवालय सहायकों के लिए विशेष वेतन, केन्द्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता/वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर दिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन ढांचा उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे। ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर भत्ते, इन भत्तों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे।

(घ) चिकित्सा अधिकारियों के मामले में उन चिकित्सा अधिकारियों, जिनको प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा है, का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में सूचकांक औसत 536 (1982= 100) पर स्वीकार्य प्रैक्टिस-बंदी भत्तों के लिए उपर्युक्त पूर्व-संशोधित महंगाई भत्ता संशोधित वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण करते समय जोड़ा जाएगा तथा ऐसे मामलों में नई दरों पर प्रैक्टिस-बंदी भत्ता 1/1/2006 अथवा संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित वेतन के अतिरिक्त मिलेगा। इस संबंध में उदाहरण 2 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

**टिप्पणी 1-** (क) समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन ढांचे में वेतन प्रारंभ में उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार-1 एस वेतन बैंड में उपर्युक्त ग्रेड वेतन के साथ निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात ऐसे उन समूह "घ" कर्मचारियों का वेतन 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.1 में 1.1.2006 से निर्धारित किया जाएगा जो पी.बी.1 में प्रविष्टि के लिए निर्धारित आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित न्यूनतम अर्हताएं पहले से ही रखते हैं।

(ख) ऐसे मौजूदा समूह "घ" कर्मचारी, जो पी.बी.1 में प्रविष्टि के लिए संशोधित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, को संबंधित विभाग द्वारा अधिमानतः छह माह के भीतर पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि स्तरोन्नयन के फलस्वरूप मिलने वाले बकाया के भुगतान में विलम्ब न हो। पुनः प्रशिक्षण के बाद इन समूह "घ" कर्मचारियों को भी 1.1.2006 से 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पी.बी.1 में रखा जाएगा और तदनुसार बकाया राशि आहरित की जाएगी। एक बार वेतन बैंड पी.बी.1 में आने के बाद, इस श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारियों की तुलना में अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेंगे और इसीलिए ये 1.1.2006 को पी.बी. वेतन बैंड में रखे गए हैं। तत्कालीन समूह "घ" में सभी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निचले वेतनमान वाले कर्मचारी की तुलना में उच्च वेतनमान में रखे जा रहे पूर्व-संशोधित उच्च वेतनमान वाले समूह "घ" कर्मचारी के साथ पूरी तरह बहाल रखी जाएगी। उसी पूर्व-संशोधित वेतनमान में वरिष्ठता, जो संशोधन से पहले थी, बनी रहेगी।

(ग) दोनों मामलों में अर्थात् अर्हताएं रखने वाले समूह "घ" के वे कर्मचारी जिन्हें सीधे पी.बी.1 में रखा गया है तथा समूह "घ" के वे कर्मचारी जिनके पास अर्हता नहीं है, लेकिन पुनः प्रशिक्षण के बाद रखा गया है, की बकाया राशि 1.1.2006 से देय होगी। समूह "घ" कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से संबंधित उदाहरण 3 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

**टिप्पणी 2क-** जहां किसी पद को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप स्तरोन्नयन किया गया है, जैसा कि इन नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग "ख" अथवा भाग "ग" में दर्शाया गया है, वहाँ लागू वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुरूप निर्धारित पद्धति से दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन को गुणक 1.86 से गुणा करने के फलस्वरूप आने वाली संख्या को दस के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा। स्तरोन्नयन वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, जैसा भाग "ख" अथवा "ग" के कॉलम 6 में दर्शाया गया है, अतिरिक्त रूप से देय होगा। इस संबंध में उदाहरण 4 क इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

**टिप्पणी 2(ख)-** वेतनमानों के आमेलन के मामले में, संशोधित वेतन बैंडों में वेतन का नियतन दिनांक 01.01.2006 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार मौजूद मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त संख्या को दस के गुणक में पूर्णांकित करते हुए नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुसरण में निर्धारित तरीके से मौजूद मूल वेतन को गुणा करते हुए किया जाएगा। भाग ख अथवा ग के कॉलम 6 में दर्शाएं गए अनुसार आमेलित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन इसके अतिरिक्त दिया जाएगा। इस संबंध में इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में उदाहरण 4 ख दिया गया है।

**टिप्पणी 3-** यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो और वह छुट्टी का वेतन लेने का हकदार हो तो वह 1.1.2006 से अथवा संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन लेने का हकदार होगा। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को अध्ययनार्थ छुट्टी पर हो तो वह 1.1.2006 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

**टिप्पणी 4-** निलंबित सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिए जाने के अधीन होगा।

**टिप्पणी 5-** जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किस उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाए जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थायी वेतन माना जाएगा।

इस नोट के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो कि विभिन्न मौजूदा वेतनमानों के स्थान पर एक संशोधित वेतन संरचना वाले स्थानापन्न पद पर कार्यरत हैं।

#### टिप्पणी 6-

यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियाँ "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती हैं तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

#### टिप्पणी 7-

जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले समान कैडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।

#### टिप्पणी 8-

जहां कोई सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में उस सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

#### टिप्पणी 9-

उन कर्मचारियों के मामले में जो कि 1 जनवरी, 2006 के पूर्व "हिन्दी शिक्षण योजना" के अंतर्गत हिन्दी प्राज्ञ, हिन्दी आशुलिपिक तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए या रोकड़ शाखा एवं लेखा मामलों में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह व्यक्तिगत वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2006 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।

**स्पष्टीकरण-** इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, "संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर" से अभिप्राय वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड़ के 3 प्रतिशत से है जिस पर कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित होगा।

#### टिप्पणी 10-

ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की 1 जनवरी, 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 1 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नति किया गया है। तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिए जा रहे वेतन बैंड में वेतन के बराबर कर दिया जाए। यह वृद्धि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात्:-

- (क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों का एक ही कैडर का होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह कैडर में समान पद होने चाहिए।
- (ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, समान होने चाहिए।
- (ग) वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस नोट के प्रावधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
- (2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उप नियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन मूलभूत पद में नियत किए गए वेतन से कम है तो पूर्व को मूलभूत वेतन के अगले चरण से ऊपर नियत किया जाएगा।

**8 1.1.2006 को अथवा उसके बाद नए रिकॉर्डों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के बेतन का संशोधित बेतन छांचे में निर्धारण- इन नियमों की प्रथम अनुसूची का भाग "क" का खण्ड II बेतन बैंड में उस प्रांतिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशेष ग्रेड बेतन छांचे पर सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों का बेतन 1.1.2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा।**

यह 1.1.2006 और इस अधिसंचयन के जारी होने की तारीख के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के बामले में भी लागू होगा । ऐसे मामलों में, जहाँ पूर्व संशोधित बेतनमानों में परिलक्षित[अर्थात् सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित बेतनमान (बेतनमानों में मूल बेतन जमा महगाई भला) संशोधित बेतन संचयन में निर्धारित बेतन तथा उस पर त्वचिकार्य महगाई भलों के जोड़ से अधिक होते हैं तो उस अंतर को बेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत बेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

**9 संशोधित बेतन छांचे में बेतनवृद्धि- संशोधित बेतन छांचे में बेतन बैंड में बेतन और लागू ग्रेड बेतन के जोड़ का 3 प्रतिशत होगी, जिसे 10 के आले गुणक में पूणीकित किया जाएगा । बेतनवृद्धि की गाँश बेतन बैंड में मौजूदा बेतन में जोड़ी जाएगी । इस संबंध में उत्तराहण 5 इन नियमों के व्याख्यात्मक जापन में दिया गया है । पी.बी. 3 के मामले में, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के हिसाब से बेतनवृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था की गई है । बेतनवृद्धि की यह उच्चतर दर पी.बी.3 में आने वाले अधिकारियों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों को नहीं दी जाएगी ।**

**10 संशोधित बेतन छांचे में अगली बेतनवृद्धि की तारीख- बार्किंग बेतनवृद्धि की तारीख एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी । 01 जुलाई को संशोधित बेतन छांचे में 6 माह और अधिक समय से भौजूद बेतनवृद्धि प्राप्त करने के पाव होंगे । संशोधित बेतन संचयन में 1.1.2006 को बेतन संशोधित बेतन छांचे में 1.1.2006 को बेतन निर्धारण के पश्चात पहली बेतनवृद्धि 1.7.2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी, जिनकी अगली बेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2006 औं 31 दिसंबर, 2006 के बीच होगी ।**

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के मामले में संशोधित बेतन छांचे में आगली बेतनवृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 01 जनवरी, 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से भौजूद बेतनमान का अधिकातम बेतन ले रहे थे । उसके बाद उन पर नियम 10 की शर्त लागू होगी ।

बशर्ते कि उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने बेतन बैंड के अधिकातम स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे अधिकातम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर बेतन बैंड में डाल दिया जाएगा । उच्चतर बेतन बैंड में स्थान के समय एक बेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा । उसके पश्चात वह उच्चतर बेतन बैंड में तब तक होगा जब तक बेतन बैंड में उसका बेतन पी.बी.4 के अधिकातम तक नहीं पहुंच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई बेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी ।

**नोट 1-** ऐसे मामलों में, जहाँ दो मौजूदा बेतनमानों में से एक को दूसरे के लिए पदोन्नति बेतनमान होने के कारण मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अपना बेतन निचोले बेतनमान में समान अस्थानी नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा संशोधित बेतन संचयन में बेतन बैंड में वह मौजूदा उच्चतर बेतनमान में कार्यत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के बेतन से अधिक बेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के बेतन बैंड में बेतन उसी तारीख से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के बेतन के बराबर कर दिया जाएगा और इस प्रकार वह अपनी अगली बेतनवृद्धि नियम 10 के अनुसार प्राप्त करेगा ।

**11 1 जनवरी, 2006 के बाद संशोधित बेतन छांचे में बेतन का निर्धारण- जहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूदा बेतनमान में अपना बेतन लेना जारी रखता है और उसे 1 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित बेतन छांचे में लाया जाता है, तो संशोधित बेतन संचयन में बाद की तारीख से उसका बेतन नियम प्रकार निर्धारित होगा:-**

- (i) बेतन बैंड में बेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल बेतन को जोड़ते हुए किया जाएगा । उस तिथि को लागू महगाई बेतन और पूर्व-संशोधित महगाई भला 1.1.2006 को यथा-विधान स्तरों पर आधारित होगा । यह संख्या 10 के आले गुणक से गुण की जाएगी और इस प्रकार निकाली गई संख्या ही लागू बेतन बैंड में बेतन होगा । इसके अतिरिक्त पूर्व-संशोधित बेतनमान के अनुसूचित बेतन भला ले रहा दिय होगा । जहाँ कहीं कोई सरकारी कर्मचारी विशेष बेतन या प्रैक्टिस बंदी भला ले रहा होगा तो, नियम 7 (i) (ख), (ग) अथवा (घ) में यथा विहित प्रक्रिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जाएगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल बेतन और महगाई बेतन ही गणना में लिया जाएगा किन्तु महगाई भलते का परिकलन 1.1.2006 को लागू दरों के अनुसार ही किया जाएगा ।

12 1 जनवरी, 2006 के बाद पुनः नियुक्त होने पर उस तारीख से पहले धारित पद पर वेतन का निर्धारण- वह सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रहा हो परन्तु उस तारीख को उस पद पर न रहा हो, जो बाद में उस पद पर नियुक्त होने पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन ले रहा हो तो उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी स्थिति में दिया जाएगा कि क्या । जनवरी, 2006 को वह उस पद पर था और उसने उस तारीख को तथा उस तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में रहने का विकल्प दिया था ।

13 1.1.2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन-निर्धारण- संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति की स्थिति में निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा ।

- (i) वेतन बैंड में वेतन राशि के 3 प्रतिशत राशि के समान एक वेतनबृद्धि और मौजूदा ग्रेड वेतन को जोड़ लिया जाएगा तबन्तर इसे 10 के अगले गुणक में गुणा किया जाएगा इसे वेतन बैंड में मौजूदा वेतन से जोड़ लिया जाएगा इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जाएगा । जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में तब्दीली भी जरूरी हो ऐसी स्थिति में इसी पद्धति का पालन किया जाएगा तथापि वेतन बृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जाएगा ।
- (ii) वेतन बैंड -4 से एच ए जी+ में पदोन्नति की स्थिति में, नियम 9 में यथा विहित तरीके से एक वेतनबृद्धि जोड़ने के बाद, वेतन बैंड और मौजूदा ग्रेड में वेतन को मिला लिया जाएगा और इस प्रकार से हासिल संख्या ही एच ए जी+ में वेतन होगा । यह राशि वेतनमान के अधिकतम 80,000 रुपए से अधिक नहीं होगी । प्रैक्टिस बंदी भत्ता, वेतन जमा प्रैक्टिस बंदी भत्ता पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह राशि 85,000 रुपए से अधिक नहीं होगी ।

14 वेतन-बकायों के भुगतान की विधि- बकायों का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा । पहली किस्त कुल राशि का 40 प्रतिशत होगी । बकायों की रोप 60 प्रतिशत राशि अगले वित्त वर्ष में दी जाएगी ।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजनों हैं:

- (क) "बकाया वेतन" का अर्थ एक सरकारी कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित के बीच अंतर:
- (i) इन नियमों के तहत वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण वह संगत अवधि जिसका वह पात्र है के लिए उसका कुल वेतन एवं भत्ते संशोधित भत्ते(महंगाई भत्ते और प्रैक्टिस बंदी भत्ते के सिवाय) 1.9.2008 से ही देय होंगे; और
- (ii) उस अवधि के वेतन एवं भत्तों का कुल जिसका कि वह पात्र होगा (चाहे ऐसे वेतन और भत्ते पाए गए हों या नहीं) चाहे इस प्रकार से उसका वेतन संशोधित नहीं किया गया हो ।
- (ख) "प्रासंगिक अवधि" से आशय । जनवरी, 2006 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि से है ।

15 नियमों का अधिक्रमण- मूलभूत नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन का संशोधन) नियम, 1947, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1960 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986 और सी सी एस (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के प्रावधान, जैसा कि अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय, इन नियमों के साथ असंगत होने की सीमा तक उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहाँ इन नियमों के अधीन वेतन विनियमित किया गया हो ।

16 ढील देने की अपील- राष्ट्रपति, जहाँ संतुष्ट हों कि इन नियमों के सभी या कोई एक प्रावधान किसी विशेष मामले में अवांछित अङ्गदान पैदा करता है, तो इस स्थिति में वे इस मामले के न्यायसंगत निपटान के लिए यथा-आवश्यक सीमा तक इस आवेदा के विलोपन या इसमें वांछित मात्रा तक ढील दे सकते हैं बशर्ते कि वे ऐसा किया जाना जरूरी समझें ।

17 **व्याख्या-** इन नियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या पर यदि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो निर्णय के लिए इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा जाए ।

पहली अनुसूची  
(नियम 3 और 4 देखें)

### भाग- क

#### खण्ड I

जिन पदों के लिए संशोधित वेतनमान अलग से अधिसूचित किए जाने हैं, के सिवाय 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' समूहों में विद्यमान पदों के लिए संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन

(रुपए में)

मौजूदा वेतनमान			संशोधित वेतन संरचना		
क्र. सं.	पद/ ग्रेड	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	साइश्य वेतन बैंड/वेतनमान	साइश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	एस-2क	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600
4	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
5	एस-4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
6	एस-5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
7	एस-6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
8	एस-7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
9	एस-8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	एस-9	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	एस-10	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	एस-11	6500-200-6900	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	एस-12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
14	एस-13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
15	एस-14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
16	एस-15	8000-275-13500	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (समूह 'क' प्रविष्टि)	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
18	एस-16	9000	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
19	एस-17	9000-275-9550	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
20	एस-18	10325-325-10975	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
21	एस-19	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
22	एस-20	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
23	एस-21	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
24	एस-22	12750-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
25	एस-23	12000-375-18000	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
26	एस-24	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
27	एस-25	15100-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
28	एस-26	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
29	एस-27	16400-450-20900	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
30	एस-28	14300-450-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
31	एस-29	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
32	एस-30	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
33	एस-31	22400-600-26000	एच.ए.जी.+ वेतनमान	75500- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत) -	शून्य

				80000	
34	एस-32	24050-650-26000	एच.ए.जी.+ वेतनमान	75500- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत) - 80000	शून्य
35	एस-33	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य
36	एस-34	30000 (नियत)	मंत्रिमंडल सचिव	90000 (नियत)	शून्य

## खण्ड - II

दिनांक 01.01.2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती रिकूटों के लिए संशोधित वेतन ढांचे में प्रविष्टि वेतन

## वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

## वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

## वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

## वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

## भाग - ख

## कर्मचारियों की कुछ आम श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमान

## खण्ड - I

- (i) कॉलम (2) में बताए गए पदों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) तथा (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन ढांचा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.01.2006 की यथा-स्थिति तक वेतन का आरंभिक निधारण इस अधिसूचना के नियम 7 के नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अनुसार किया जाएगा।
- (ii) पूर्व-संशोधित वेतनमानों यथा- 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए तथा 6500-10500 रुपए के वेतनमानों के आमेलन के कारण, कुछ पद जो मौजूदा समय में फीडर तथा प्रोनेत्रि ग्रेडों को बनाते हैं, वे एक ही ग्रेड में आ जाएंगे। इन पदों की कुछ श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों भाग- ख के खण्ड II में शामिल हैं। जहां तक अन्य पदों का संबंध है, इन तीन वेतनमानों के पदों को आमेलित कर देना चाहिए। यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित करना व्यावहारिक नहीं है तो 5000-8000 रुपए तथा 5500-9000 रुपए के वेतनमान में पदों को पी.बी.- 2 वेतन बैंड में आगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए। यदि 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर दिया जाना चाहिए।
- (iii) अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा विधि में डिग्री, दोनों में से किसी एक की न्यूनतम अर्हता वाले 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पदों को भी स्तरोन्नत किया जाना चाहिए तथा 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के संशोधित पी.बी.- 2 वेतन बैंड के समनुरूप 7450-11500 रुपए के वेतनमान में रखना चाहिए।
- (iv) 6500-10500 रुपए के वेतनमान में इंजीनियरिंग अथवा विधि में डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखने वाले पदों को स्तरोन्नत किया जाना चाहिए और इन्हें 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड से सादृश्य वेतनमान 7450-11500 रुपए में रखा जाना चाहिए।
- (v) उपर्युक्त (ii) के मुताबिक, स्तरोन्नयन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाए। उपर्युक्त (iii) तथा (iv) के संबंध में, स्तरोन्नयन संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनके अपने एकीकृत वित्त के साथ परामर्श से किया जाए।

## खण्ड - II

(रुपए में)

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड		रिपोर्ट की पैरा सं.
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी*</b>						
1	अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव/समकक्ष	6500-10500	7500-12000 8000-13500 (चार वर्ष पूरे करने पर)	वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-3	4800 5400 (चार वर्ष पूरे करने पर)	3.1.9 (सरकार द्वारा संशोधित)

\* यह वेतनमान केवल उन संगठनों/सेवाओं में ही उपलब्ध होगा जिनकी सी.एस.एस./सी.एस.एस. के साथ ऐतिहासिक साम्यता रही थी। ए.एफ.एच.क्यू.एस.एस./ए.एफ.एच.क्यू.एस.एस./आर.वी.एस.एस. सरीखी सेवाओं तथा विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी आयोग, सघ लोक सेवा आयोग आदि जैसे मंत्रालयों/संगठनों में मंत्रालयी/सचिवालयी पदों को इसी से कवर किया जाएगा।

II सचिवालय से बाहर संगठनों के कार्यरत कार्यालय कर्मचारी						
1	प्रधान लिपिक/सहायक/ आशुलिपिक ग्रेड II/ समकक्ष	4500-7000 5000-8000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	3.1.14
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II/ व. निजी सचिव/समकक्ष	7500-12000	7500-12000 (नए भर्ती होने वालों के लिए प्रारंभिक ग्रेड)  8000-13500 (चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)	वेतन बैंड-2	4800  5400 (चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)	3.1.14
III	असंगठित लेखा संवर्गों से संबंधित लेखा स्टाफ संगठित लेखा संवर्गों से बाहर लेखा संबंधी पदों तथा मंत्रालयी पदों के बीच मौजूद सापेक्षता को बरकरार रखा जाएगा तथा असंगठित लेखा संवर्गों से संबंधित लेखा स्टाफ को प्रतिस्थापित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन दिया जाएगा।					
IV	कलाकार					
1	वरिष्ठ कलाकार	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.6
V	कैंटीन स्टाफ					
1.	पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमानों में कैंटीन स्टाफ के पद	इन पदों पर काबिज़ कर्मचारियों को एक बार समुचित रूप से पुनःप्रशिक्षित कर लिया जाता है तथा बहु-कौशलयुक्त बना लिया जाता है तो समूह 'घ' में कैंटीन स्टाफ के सभी पदों को 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी.- 1 में रखा जाएगा।				3.8.7
VI	आरेखण कार्यालय स्टाफ					
1	मुख्य इफ्ट-समैन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.9
VII	इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग (ई.डी.पी.) स्टाफ					
1	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.11
VIII	दमकल स्टाफ					
1	फायरमैन	2610-3540	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	3.8.12
2	अग्रणी फायरमैन	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	
3	स्टेशन अधिकारी	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	
4	सहायक मंडलीय दमकल अधिकारी	5000-8000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	
5	उप मंडलीय दमकल अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
IX	पुस्तकालय स्टाफ					
1	लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड II एवं I के पदों को उन पर काबिज़ कार्मिकों की दक्षता में समुचित बढ़ोतारी के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी.- 1 में आमेलित होकर रखा जाएगा।					3.8.13
2	सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
X	प्रयोगशाला स्टाफ					
1	पूर्व-संशोधित समूह 'घ' वेतनमानों में लेबोरेटरी स्टाफ के सभी पदों को (आम तौर पर लेबोरेटरी अटेंडेंट्स ग्रेड I, II एवं III के रूप में पदनामित) उनकी दक्षता में समुचित बढ़ोतारी के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ					3.8.14

	संशोधित वेतन बैंड पी.बी.- 1 में रखा जाएगा।					
2	लेबोरटरी तकनीशियन ग्रेड I		6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600
<b>XI</b>	<b>नर्सिंग एवं अर्ध-चिकित्सा स्टाफ</b>					
1	स्टाफ नर्स	5000-8000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.15
2	नर्सिंग सिस्टर	5500-9000	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
3	आहार-विज्ञानी ग्रेड II/पी.टी./ओ.टी. में प्राध्यापक/रिडियोग्राफर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
4	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	6500-10500	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
5	उप नर्सिंग अधीक्षक	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
6	नर्सिंग अधीक्षक	8000-13500	10000-15200	वेतन बैंड-3	6600	
7	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	
<b>XII</b>	<b>छायाकार</b>					
1	फोटोग्राफी अटेंडेंट ग्रेड II/पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमान में कोई अन्य पद	2650-4000/ पूर्व-संशोधित समूह 'घ' वेतनमान में कोई अन्य वेतनमान		वेतन बैंड-1	1800	3.8.16
2	मुख्य छायाकार/समकक्ष	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
<b>XIII</b>	<b>मुद्रण स्टाफ</b>					
1	6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान में प्रिंटिंग स्टाफ के पद		7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.18
<b>XIV</b>	<b>रिसेशनिस्ट्स</b>					
1	रिसेशनिस्टों विभिन्न पदों को सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन में लिपिकीय संवर्ग के साथ आमेलित किया जाएगा। यदि लिपिकीय संवर्ग में कोई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद नहीं है, तो लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध ठीक ऊपर के ग्रेड वेतन में उनका आमेलन किया जाना चाहिए।					
<b>XV</b>	<b>स्टोरकीपिंग स्टाफ</b>					
1	वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड II (पदनाम पर ध्यान दिए बगैर स्टोरकीपिंग के सभी समकक्ष पदों को दिया जाएगा)	6500-10500	7450-1100	वेतन बैंड-2	4600	3.8.20
<b>XVI</b>	<b>अध्यापक</b>					
1	प्राथमिक स्कूल अध्यापक	ग्रेड III 4500-7000  ग्रेड II 5500-9000  ग्रेड I 6500-10500	ग्रेड III 6500-10500  ग्रेड II 7450-11500  ग्रेड I 7500-12000	वेतन बैंड-2  वेतन बैंड-2  वेतन बैंड-2	4200  4600  4800	
2	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	ग्रेड III 5500-9000  ग्रेड II 6500-10500	ग्रेड III 7450-11500  ग्रेड II 7500-12000	वेतन बैंड-2  वेतन बैंड-2	4600  4800	

		ग्रेड I 7500-12000	ग्रेड I 8000-13500	वेतन बैंड-2	5400	3.8.22
3	स्नातकोत्तर अध्यापक	ग्रेड III 6500-10500	ग्रेड III 7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
		ग्रेड II 7500-12000	ग्रेड II 8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
		ग्रेड I 8000-13500	ग्रेड I 10000-15200	वेतन बैंड-3	6600	
4	उप प्रधानाचार्य	ग्रेड II 7500-12000	ग्रेड II 8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
		ग्रेड I 8000-13500	ग्रेड I 10000-15200	वेतन बैंड-3	6600	
5	प्रधानाचार्य	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	3.8.24
6.	शिक्षा अधिकारी/ सहायक शिक्षा निदेशक#	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	
	# शिक्षा अधिकारी/ सहायक शिक्षा निदेशक के पद उप शिक्षा निदेशक के पद के साथ आमेलित किए जाते हैं।					
XVII	पशु चिकित्सक					
1	पैरा वेटेरेनरी अटेंडेंट के समूह 'घ' पद	पैरा वेटेरेनरी अटेंडेंट्स/कम्पाउंडर के साथ समूह 'घ' पदों को उनके समुचित प्रशिक्षण के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी.-1 में रखा जाता है				3.8.25
2	6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
3	वेटेरेनरी अधिकारी	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकरण के साथ पशुचिकित्सा में स्नातक एवं ए.एच. की अपेक्षित उपाधि वाले वेटेरेनरी अधिकारियों को सामान्य छूटी चिकित्सा अधिकारियों तथा दंत चिकित्सकों के समतुल्य रखा जाएगा				
XVIII	वर्कशॉप स्टाफ					
1	अकुशल	2550-3200	2750-4400	वेतन बैंड-1	1800	3.8.27
2	अर्द्ध-कुशल	2650-4000	2750-4400	वेतन बैंड-1	1800 *	
3	सहायक शॉप अधीक्षक \$/उप शॉप अधीक्षक/सहायक फोरमैन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
	* मौजूदा अकुशल और अर्द्ध कुशल कार्मिकों के ग्रेड आमेलित होते हैं। \$ सहायक शॉप अधीक्षक/समकक्ष तथा शॉप अधीक्षक/समकक्ष के ग्रेड आमेलित होते हैं।					

XIX	संगठित लेखा संबंध*					
1	अनुभाग अधिकारी	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.56.9
2	सहायक लेखा/ लेखापरीक्षा अधिकारी	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.56.9
3	लेखापरीक्षा/ लेखाधिकारी	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-2	5400	7.56.9
4	वरिष्ठ लेखापरीक्षा/	8000-13500	8000-13500	वेतन	5400	7.56.9

लेखाधिकारी			बैंड-3		
*भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू					

भाग - ग

## मंत्रालयों/विभागों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कुछ पदों के लिए संशोधित वेतन ढांचा

## खण्ड - I

- (i) कॉलम (2) में बताए गए पदों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) तथा (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन ढांचा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.01.2006 को यथा-स्थिति तक वेतन का आरंभिक निर्धारण इस अधिसूचना के नियम 7 के नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अनुसार किया जाएगा।
- (ii) पूर्व-संशोधित वेतनमानों यथा- 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए तथा 6500-10500 रुपए के वेतनमानों के आमेलन के कारण, कुछ पद जो मौजूदा समय में फीडर तथा प्रोत्रिट ग्रेडों को बनाते हैं, वे एक ही ग्रेड में आ जाएंगे। इन पदों की कुछ श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशें भाग- ग के खण्ड II में शामिल हैं। जहां तक अन्य पदों का संबंध है, इन तीन वेतनमानों के पदों को आमेलित कर देना चाहिए। यदि कार्यात्मक वृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित करना व्यावहारिक नहीं है तो 5000-8000 रुपए तथा 5500-9000 रुपए के वेतनमान में पदों को पी.बी.- 2 वेतन बैंड में अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 7450-11500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समनुरूप 4600 रुपए के ग्रेड वेतन में स्तरोन्नत किए जा रहे 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए। यदि 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर दिया जाना चाहिए।
- (iii) अधियांत्रिकी में डिग्री अथवा विधि में डिग्री, दोनों में से किसी एक की न्यूनतम अर्हता वाले 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पदों को भी स्तरोन्नत किया जाना चाहिए तथा 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के संशोधित पी.बी.- 2 वेतन बैंड के समनुरूप 7450-11500 रुपए के वेतनमान में रखना चाहिए।
- (iv) 6500-10500 रुपए के वेतनमान में इंजीनियरिंग अथवा विधि में डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखने वाले पदों को स्तरोन्नत किया जाना चाहिए और इन्हें 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड से सादृश्य वेतनमान 7450-11500 रुपए में रखा जाना चाहिए।
- (v) उपर्युक्त (ii) के मुताबिक, स्तरोन्नयन व्यव विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाए। उपर्युक्त (iii) तथा (iv) के संबंध में, स्तरोन्नयन संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनके अपने एकीकृत वित्त के साथ परामर्श से किया जाए।

## खण्ड - II

कॉलम 2 में निर्दिष्ट पदों के लिए अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) और (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन संरचना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(रुपए में)

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान	सादृश्य वेतन बैंड और ग्रेड वेतन		रिपोर्ट की पैरा संख्या
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>कृषि मंत्रालय</b>						
1	वनस्पति संरक्षण संग्रहीत तथा संचयन निदेशालय में वनस्पति संरक्षण अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.5
2	केन्द्रीय कार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.6
3	दिल्ली दुग्ध योजना में प्रबंधक (प्रापण/प्रक्रियण/गुणता नियंत्रण/ वितरण)	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	7.1.7
4	दिल्ली दुग्ध योजना में वरिष्ठ डेयरी इंजीनियर	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	7.1.7
5	मत्स्य पालन सर्वे ऑफ इंडिया में कनिष्ठ मत्स्यपालन वैज्ञानिक ग्रेड I और ग्रेड II (पद आमेलित होते हैं)	ग्रेड I 7500-12000 ग्रेड II 6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.1.12
6	कपास विकास निदेशालय में सहायक निदेशक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.20
7	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी में वरिष्ठ बीज विश्लेषक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.22
8	उत्तरीय क्षेत्र कार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में वरिष्ठ अनुदेशक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.24

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
डाक विभाग

1	मेल मोटर सर्विस में तकनीकी पर्यवेक्षक	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.6.8
2	मेल मोटर सर्विस में कारीगर ग्रेड I	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.6.8
3.	सहायक निदेशक (भर्ती)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.6.9
4	सहायक अधीक्षक पोस्ट ऑफिस (ए.एस.पी.ओ.)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.6.14
5	अधीक्षक (डाक)	6500-10500	7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद)	वेतन बैंड-2	4800 5400	7.6.14
6	सहायक प्रबंधक, मेल मोटर सर्विस	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.6.14
7	उप प्रबंधक, मेल मोटर सर्विस	6500-10500	7500-12000	वेतन	4800	7.6.14

8	उच्च चयन ग्रेड I	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.6.15
9	डाकिया	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.6.17
10	रेलवे मेल सेवा में मेलगार्ड	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.6.17
11	अनुवाद अधिकारी (प्रैंच)	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.6.18

## उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

1	शर्करा निदेशालय में तकनीकी सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.12.13
---	----------------------------------	-----------	------------	----------------	------	---------

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

1	कम्पनी अधियोक्ता ग्रेड II और ग्रेड III	ग्रेड II 6500-10500 ग्रेड III 5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.8.5
2	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.8.6
3	गंभीर जालसाजी अन्वेषण संगठन में सहायक निदेशक	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.8.10

## संस्कृति मंत्रालय

1	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.5
2	पुरातत्ववेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.5
3	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.5
4	संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.5
5	सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.5
6	वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.8
7	राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.14
8	6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.16
9	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.9.18

## रक्षा मंत्रालय

## रक्षा विभाग

1	मशीनमैन/ऑपरेटर ऑफसेट	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.10.17
2	सेना स्कूलों में सहायक मास्टर	5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.21

3	सेना स्कूलों में मास्टर गेजेटिड	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	7.10.21
<b>तटरक्षक संगठन (सामान्य ड्यूटी शाखा)</b>						
4	नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.10.26
5	उत्तम नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.10.26
6	प्रधान नाविक	3200-4900 + विशेष वेतन 50 रुपए	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.10.26
7	उत्तम अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
8	प्रधान अधिकारी	6500-10500+ विशेष वेतन 200 रुपए	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.10.26
<b>तटरक्षक संगठन (घरेलू शाखा)</b>						
9	नाविक	2750-4400	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	7.10.26
10	उत्तम नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.10.26
11	प्रधान नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.10.26
12	प्रधान अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
<b>तटरक्षक संगठन (विमानन शाखा)</b>						
13	नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.10.26
14	उत्तम नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.10.26
15	प्रधान नाविक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.10.26
16	उत्तम अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
17	प्रधान अधिकारी	6500- 10500+विशेष वेतन 200 रुपए	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.10.26
<b>तटरक्षक संगठन (तकनीकी शाखा)</b>						
18	उत्तम इंजीनियर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
19	प्रधान इंजीनियर	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.10.26
<b>रक्षा उत्पादन विभाग</b>						
20	डी.जी.क्यू.ए. में सहायक लेखा अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.33

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग						
21	रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में परीक्षक ग्रेड I	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.35
22	डी.आर.डी.ओ. में वरिष्ठ तकनीकी सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.39
भू-विज्ञान मंत्रालय						
1	सेंटर फॉर मेरीन लिविंग रिसोर्सिस एंड इकोलॉजी, कोच्ची में तकनीकी सहायक	4500-7000	6500-10000	वेतन बैंड-2	4200	7.12.7
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय						
1	भारत के प्राणी उद्यान सर्वेक्षण विभाग में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.13.9
विदेश मंत्रालय						
1	सुरक्षा गार्ड	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सदृश पदों के लिए यथा-संस्तुत उच्चतर वेतनमान विदेश मंत्रालय में सुरक्षा गार्डों को दिया जाएगा			7.14.4	
2	अधीक्षक, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.14.5
वित्त मंत्रालय						
आर्थिक कार्य विभाग						
1	अनुभाग अधिकारी (छोड़ दिया गया है)	7450-11500	7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद)	वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-3	4800 5400	7.15.3
2	सरकारी टकसाल में सहायक श्रेणी II	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.15.5
3	भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में पर्यवेक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.15.7
4	भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में उप नियंत्रक अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.15.7
5	भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में वर्क इंजीनियर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.15.7
6	कलकत्ता टकसाल में सहायक श्रेणी II	3050-4590	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.15.8
7	सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में तकनीकी विंग अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.15.9
8	उप तकनीकी अधिकारी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.15.9

राजस्व विभाग						
9	आयकर अधिकारी/अधीक्षक/मूल्य निरूपक आदि (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	7500-12000	7500-12000 8000-13500 (चाल साल बाद)	वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4800 5400	7.15.17
10	नोटिस सर्वर	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.15.18
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय						
1	चिकित्सा पर्यवेक्षक/स्वास्थ्य परिदर्शक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.17.11
गृह मंत्रालय						
1	आर.जी.आई. में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड I	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.9
2	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में अपर डी.आई.जी.	14300-18300	16400-20000	वेतन बैंड-4	8900	7.19.33
3	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में कांस्टेबल	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.19.35
4	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में हैंड कांस्टेबल	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.19.35
5	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.19.35
6	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में निरीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.35
7	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में सूबेदार मेजर	6500-10500+200 रुपए प्रतिमाह	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.19.35
8	दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.19.50
9	दिल्ली पुलिस में हैंड कांस्टेबल	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.19.50
10	दिल्ली पुलिस में सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.19.50
11	दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.50
12	आसूचना ब्यूरो में सुरक्षा सहायक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.19.62
13	आसूचना ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना अधिकारी ग्रेड II	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.19.62
14	आसूचना ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना अधिकारी ग्रेड I	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.19.62
15	आसूचना ब्यूरो में ए.सी.आई.ओ.-I	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.62
16	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में वरिष्ठ अनुवादक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.68
17	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सहायक निदेशक (रा.भा.)	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	7.19.68

18	दानिक्स (डी.ए.एन.आई.सी.एस.) दानिक्स (डी.ए.एन.आई.पी.एस.) पांडिचेरी सिविल सेवा और पांडिचेरी पुलिस सेवा में प्रारंभिक ग्रेड	6500-10500	7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद)	वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-3	4800 5400	7.19.51 7.19.68
<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>						
1	डी.ए.वी.पी. में तकनीकी सहायक (विज्ञापन)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.22.6
2	डी.ए.वी.पी. में सहायक उत्पादन प्रबंधक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.22.8
3	डी.ए.वी.पी. में सहायक वितरण अधिकारी/ सहायक मीडिया कार्यपालक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.22.8
4	प्रकाशन विभाग में सहायक विपणन प्रबंधक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.22.12
5	फिल्म प्रभाग में कारपेटर	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.22.14
<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>						
1	वरिष्ठ रोजगार अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.23.4
2	डी.जी.एम.एस. में विधि अधिकारी ग्रेड II	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.23.11
3	डी.जी.एम.एस. में विधि सहायक (विधि अधिकारी ग्रेड II के पद के साथ आमेलन होना है)	5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.23.11
4	श्रम ब्यूरो में श्रम प्रवर्तन अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.23.14
<b>विधि एवं न्याय मंत्रालय</b>						
1	सहायक (विधि)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.24.12
<b>खान मंत्रालय</b>						
1	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञानिक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.26.5
2	आई.बी.एम. में सहायक कैमिस्ट	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.26.5
3	आई.बी.एम. में खनिज अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.26.5
4	खान सुरक्षा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.26.11
<b>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>						
1	भाषा अनुदेशक	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.32.10
2	आई.एस.टी.एम. में सहायक निदेशक	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.32.16
3	सी.बी.आई. में हैंड कांस्टेबल	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.32.18
4	सी.बी.आई. में हैंड कांस्टेबल	3200-4900	4000-6000	वेतन	2400	7.32.18

5	सी.बी.आई. में सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.32.18
6	सी.बी.आई. में निरीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.32.18

**विद्युत मंत्रालय**

1	व्यावसायिक/सांख्यिकीय सहायक	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.35.2
---	-----------------------------	-----------	-----------	----------------	------	--------

**जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**  
**सीमा सड़क संगठन**

1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में तकनीकी सहायक, सहायक इंजीनियर और मुख्य ड्राफ्टमैन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.39.20
2	सीमा सड़क संगठन में ओवरसियर (अधीक्षक बी.आर. ग्रेड II) की पदवेन्ति वाले पद के साथ आमेलन होना है)	3200-4900	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.39.22
3	सिविल इंजीनियरिंग और इलैक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल संवर्ग में अधीक्षक ग्रेड II	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.39.23
4	फोरमैन अधीक्षक (अग्नि)	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.39.28

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय**

1	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में वरिष्ठ अन्वेषक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.40.4
---	---	------------	------------	----------------	------	--------

**सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**

1	सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड II (सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड I पद के साथ आमेलन होना है)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.41.5
---	--	------------	------------	----------------	------	--------

**वस्त्र मंत्रालय**

1	वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में सहायक निदेशक (तकनीकी)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.43.11
2	वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.43.11
3	विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय में सहायक निदेशक (हथकरघा)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.43.13

**शहरी विकास मंत्रालय**

1	सी.पी.डब्ल्यू.डी. (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) की इंजीनियरिंग विंग में सहायक इंजीनियर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.46.12
2	सी.पी.डब्ल्यू.डी. के बागवानी विंग में सहायक निदेशक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.46.17
3	सी.पी.डब्ल्यू.डी. की ड्रॉइंग विंग में तकनीकी अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.46.23
4	संपदा निदेशालय में विधि सहायक	5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.46.27
5	उच्च श्रेणी लिपिक प्रभारी (उच्च स्टोर कीपर	4500-7000	5000-8000	वेतन	4200	7.46.31

के पद के साथ आमेलन होना है)				बैंड-2		
<b>जल संसाधन मंत्रालय</b>						
1	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन में अधीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.47.6
2	केन्द्रीय जल आयोग में सहायक निदेशक ग्रेड II	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.47.8
<b>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>						
1	निर्दर्शन अधिकारी ग्रेड I/वरिष्ठ तकनीकी सहायक/कैमिस्ट	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.48.5
<b>संघ लोक सेवा आयोग</b>						
1	संपदा प्रबंध एवं बैठक अधिकारी, कनिष्ठ विश्लेषक, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, अधीक्षक (डी.पी.), स्वागत अधिकारी, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, डाटा प्रोसेसिंग और प्रासेसिंग सहायक और अधीक्षक (टाइपिंग)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.53.6
<b>भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग</b>						
1	विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड II	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.56.13
2	विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड I	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.56.13
3	वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	7.56.13
<b>संघ शासित क्षेत्र</b>						
1	दिल्ली को छोड़कर संघ शासित में कांस्टेबल (इस समय 3050-4590 रुपए के वेतनमान से नीचे के वेतनमान के कांस्टेबलों को 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी. I के साथ रखा गया है)	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.57.6
2	दिल्ली को छोड़कर संघ शासित क्षेत्रों के हेड कांस्टेबल	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.57.6
3	दिल्ली को छोड़कर संघ शासित क्षेत्रों के सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.57.6
4	दिल्ली को छोड़कर संघ शासित क्षेत्रों के निरीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.6
5	वन गार्ड/वन संरक्षक बल	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.57.7
6	हैड वन गार्ड	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.57.7
7	वन दरोगा/समतुल्य पद	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.57.7
8	तहसीलदार	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.11

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली						
9	संघ शासित प्रदेश दिल्ली में पुरातत्व इंजीनियर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.15
10	पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार में बागवानी सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.16
11	पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार में संरक्षक सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.16
12	पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार में सर्वेक्षक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.16
13	राजस्व एवं विकास विभाग संघ शासित प्रदेश दिल्ली में बागवानी सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
14	राजस्व एवं विकास विभाग, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में तकनीकी सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
15	राजस्व एवं विकास विभाग, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में दनस्पति संरक्षक सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
16	राजस्व और विकास विभाग में विस्तार अधिकारी	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
17	ग्राम स्तर के कार्यकर्ता	3200-4000	4000-6000	वेतन बैंड-2	2400	7.57.17
18	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में परियोजना अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.25
19	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.29
20	लोक अभियोजक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.30
संघ शासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप						
21	मछली उद्योग के सहायक निदेशक (मछली उद्योग के उप निदेशक के पद के साथ आमेलन होना है)		7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.47
22	फायरमैन	2610-4000	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	7.57.46
संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह						
23	संघ शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पटवारी और पदनाम पर ध्यान दिए बगैर अन्य संघ शासित प्रदेशों में भी पटवारी	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.57.61
संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी						
24	अनुवादक, विधि विभाग	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.57.65
25	रिपोर्टर, सूचना विभाग (उप संपादक के पद के साथ आमेलन किया जाना है)	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.57.66
26	ओवरसीय ग्रेड I, स्थानीय प्रशासनिक विभाग	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.57.68
27	ड्राफ्ट-समैन ग्रेड II	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.57.68
28	वाद-विवाद संपादक, विधान सभा	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.71
29	सहायक इंजीनियर (मेरीन) मछली उद्योग	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	7.57.76

	विभाग			बैंड-2		
30	ओवरसीयर, लोक निर्माण विभाग	4000-6000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.57.77
31	मलजल विश्लेषक, लोक निर्माण विभाग (बायोकेमिस्ट के पद के साथ आमेलन किया जाना है)	5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.77
32	बायो-कैमिस्ट	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.77
33	फील्डमैन, पशुपालन विभाग	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.57.79

### दूसरी अनुसूची

#### विकल्प फार्म

[नियम \_\_\_\_\_ देखें]

\*(i) मैं \_\_\_\_\_ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता हूँ।

\*(ii) मैं \_\_\_\_\_ मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिए गए के अनुसार मौजूदा वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ जब तक कि:-

\* मेरी अंगली वेतनवृद्धि की तारीख

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख जिससे मेरे वेतन ..... रूपए हो जाए।

मैं, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बंद कर दूँ/छोड़ दूँ।

मौजूदा वेतनमान \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

कार्यरत कार्यालय का नाम \_\_\_\_\_

दिनांक:

स्टेशन:

\* यदि लागू न हो, तो काट दिया जाए।

## केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन

(संशोधित वेतन) नियमावली, 2008

**नियम 1 - यह नियम स्वतः स्पष्ट है।**

**नियम 2 -** यह नियम उन कर्मचारियों को श्रेणीबद्ध करता है जिन पर यह लागू होगा। खण्ड (2) में वर्गीकृत श्रेणियों को छोड़कर राष्ट्रपति के अधिकार में आने वाले उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो असैनिक प्रावक्तव्य से भुगतान प्राप्त करने वाले विभागों में कार्यरत हैं। यह रेल मंत्रालय तथा रक्षा सेवा प्रावक्तव्यों से भुगतान प्राप्त कर रहे असैनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनके लिए संबंधित मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे। यह नियम डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों पर भी लागू नहीं होगा। तथापि, यह कार्य प्रभारित संस्थानों पर लागू होगा।

**नियम 3 और 4 - ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।**

**नियम 5 -** इस नियम का अधिग्राह्य यह है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अंतर्गत लाया जाए सिवाय उन लोगों के जो मौजूदा वेतनमानों में वेतन आहरित करने का चुनाव करते हैं। जो मौजूदा वेतनमान में ही बने रहना चाहते हैं उन्हें महंगाई भत्ते की वे किश्तें मिलते रहेंगी जो 01 जनवरी 2006 को लागू थीं और महंगाई भत्ता उस कुल परिलेव्य में शामिल माना जाएगा जो पेशन आदि के लिए उस तारीख से लागू हैं। यदि सरकारी कर्मचारी मौलिक क्षमता के अनुसार स्थायी पद पर काबिज़ि है तथा अपने से ऊंचे पद का कार्य निभा रहा है, अथवा उसके प्रतिनियुक्त आदि पर न होते हुए एक या अधिक पदों का कार्य निभाया हुआ होता तो उसके पास केवल एक वेतनमान के संबंध में मौजूदा वेतनमान में बने रहने का विकल्प होता। ऐसा सरकारी कर्मचारी स्थायी पद अथवा कार्यवाहक पदों में से किसी एक पद पर लागू मौजूदा वेतनमान में बने रह सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे संशोधित वेतन संरचना के तहत अनिवार्यतः लाया जाना होगा।

**नियम 6 -** यह नियम यह पद्धति विनिर्दिष्ट करता है कि विकल्प का चयन कैसे किया जाए और किस प्राधिकरण को अपने विकल्प से अवगत कराया जाए। अपना विकल्प नियमावली के साथ संलग्न कार्य पर ही उपलब्ध करवाना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकारी कर्मचारी के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपना विकल्प चुन ले बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए। अगर इन नियम के अनुपालन के समय कोई सरकारी कर्मचारी देश के बाहर है तो उसे भारत में आकर अपना अधिग्राहण करने की तिथि से तीन महीने की समय-सीमा के अंदर अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना होगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन पदों की संशोधित वेतन संरचना की घोषणा इन नियमों के जारी होने की तारीख के बाद होती है, ऐसी घोषणा की तारीख से तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

जो लोग 01 जनवरी, 2006 और इस नियम के जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी अपना विकल्प चुनने का अधिकार होगा।

**नियम 7(1) -** इस नियम का संबंध 01 जनवरी, 2006 को यथाविद्यमान वेतनमानों में वेतन के वास्तविक निर्धारण से है। नियम 7(1) के नीचे टिप्पणियों के तहत वेतन-वर्धन की शर्त पर इस उप-नियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारित करने का तरीका दर्शाने वाले कुछ उदाहरण संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

**नियम 7(2) -** इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में देय नहीं होगा जहां किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने मूल पद के लिए संशोधित वेतनमान का चुनाव किया हो लेकिन कार्यवाहक पद के संबंध में मौजूदा वेतनमान को ही बरकरार रखा हो।

**नियम 8 -** यह नियम 01.01.2006 को या इसके बाद नई भर्ती के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की पद्धति को विनिर्दिष्ट करता है।

**नियम 9 और 10 -** ये नियम नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि किस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए, का वर्णन करता है। इन नियम के मूल भाग की विसंगतियों के कारण कनिष्ठ कर्मचारी अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन पा रहे हैं, को इस परन्तु द्वारा दूर किया जा रहा है और इसके द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय के मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो गतिरोध के कारण मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो वास्तव में तदर्थ आधार पर गतिरोध वेतनवृद्धि पा रहे हैं, का भी ध्यान रखा गया है।

**नियम 11 से 17 - ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।**

[फा. सं. 1/1/2008- आई सी]

सुषमा नाथ, सचिव

उदाहरण 1: संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	4000-100-6000 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	4800 रुपए
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रुपए (8930 रुपए में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड पी.बी.-2 में वेतन	8930 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	8930 रुपए
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2400 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	11330 रुपए

उदाहरण 2: चिकित्सा अधिकारियों की संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	10000-15200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए
3.	01.01.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन वेतन पर महंगाई वेतन (डी.पी.) + एन.पी.ए. मूल वेतन पर 25 प्रतिशत एन.पी.ए + डी.पी. मूल वेतन पर 24 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता वर्तमान परिलक्षियां	10000 रुपए 6250 रुपए 4063 रुपए 4875 रुपए मूल वेतन का 24 प्रतिशत+डी.पी.+एन.पी.ए. 25188 रुपए (2519 रुपए पूर्णांकित)
4.	मूल वेतन पर 1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के पश्चात वेतन बैंड में संशोधित वेतन	18600 रुपए
5.	एन.पी.ए. पर महंगाई भत्ता	976 रुपए (4063 रुपए का 24 प्रतिशत)
6.	वेतनमान से संबद्ध वेतन बैंड में वेतन	19580 रुपए ( $18600 + 976 = 19576$ पूर्णांकित)
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	6545 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	26180 रुपए
9.	संशोधित एन.पी.ए.	6545 रुपए

उदाहरण 3

**स्थिति 1 :** - 1 एस में समूह 'घ' कर्मचारियों का प्रारंभिक निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	-1 एस 4440-7440 रुपए
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड में वेतन	5290 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	5290 रुपए
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1300 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	6590 रुपए

**स्थिति 2 :** अपेक्षित अर्हता रखने वाले अथवा पुनः प्रशिक्षण के बाद वाले समूह 'घ' कर्मचारियों का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित )
5.	वेतन बैंड पी.बी.-1 में वेतन	5290 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	5530 रुपए
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1800 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	7330 रुपए

**उदाहरण 4क :** स्तरोन्तर पदों के मामले में वेतन निर्धारण अर्थात् 3050-75-80-4590 रुपए से 3200-85-4900 रुपए के वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान के पद

1.	मौजूदा वेतनमान	3050-4590 रुपए (1900 रुपए का सादृश्य ग्रेड वेतन)
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	वेतन के वेतनमान में स्तरोन्तर	3200-4900 रुपए (सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 रुपए)
4.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	3125 रुपए
5.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5813 रुपए (5820 रुपए पूर्णांकित)
6.	वेतन बैंड पी.बी.-2 में वेतन	5820 रुपए

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (54) / 2008—डीपीई (डब्ल्यूसी) XI/2008, दिनांक 14 अक्टूबर, 2008)

\*\*\*\*\*